प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 84/2022)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने 'भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग हेतु लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क और विनियामक तंत्र' पर परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 23 दिसंबर 2022 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज 'भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग हेतु लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क और विनियामक तंत्र' पर परामर्श पत्र जारी किया है।

2. सबमरीन केबल डिजिटल युग की महत्वपूर्ण संचार अवसंरचना हैं और आज की तेज़ गतिशील डेटा संचालित अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। सबमरीन संचार केबलों का वैश्विक व्यापक नेटवर्क दुनिया भर में लोगों और व्यवसायों को जोड़ते हुए कई देशों के समुद्री क्षेत्रों को पार करता है। केबल लैंडिंग स्टेशन (सीएलएस) के ऑपरेटरों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग सत्रह सबमरीन केबल है, जो चौदह अलग-अलग केबल लैंडिंग स्टेशनों पर आकर समाप्त होती हैं। इसके अलावा, कई नए सबमरीन केबल रोल आउट की प्रक्रिया में हैं, जो भारत के विभिन्न तटीय शहरों तक पहुंचेंगे।

3. दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने संदर्भ पत्र के माध्यम से कुछ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटरों (आईएलडीओ) पर अपनी चिंता साझा करते हुए भादूविप्रा से संपर्क किया है, क्योंकि वे सबमरीन केबल सिस्टम में कोई हिस्सेदारी नहीं होने के बावजूद भी सबमरीन केबल के मालिकों की ओर से भारत का प्रादेशिक जल/ विशेष आर्थिक क्षेत्रों में ऐसी केबल बिछाने/रखरखाव हेतु मंजूरी की मांग और ऐसी सबमरीन केबलों के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन (सीएलएस) की स्थापना हेतु आवेदन कर रहे है। इस प्रकार दूरसंचार विभाग ने मौजूदा यूएल-आईएलडी/स्टैंडअलोन आईएलडी लाइसेंस के तहत, भारत में सबमरीन केबलों की लैंडिंग के लिए लाइसेंसिंग अवसंरचना और विनियामक तंत्र पर भादूविप्रा की अनुशंसाएँ मांगी हैं। इस प्रकार भादूविप्रा ने यह परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया है ताकि दूरसंचार विभाग से प्राप्त संदर्भ में चिह्नित मुद्दों पर हितधारकों के विचार प्राप्त किए जा सकें।

4. इसके अलावा, सबमरीन केबलों से संबंधित कुछ अन्य मुद्दों पर भी इस पत्र में चर्चा की गई है, जिन्हें प्राधिकरण ने स्वत: संज्ञान में लिया है। वर्तमान में, कोई भी भारतीय समुद्री सेवा प्रदाता उपलब्ध नहीं है जो भारतीय जलक्षेत्र में और उसके आसपास सबमरीन रखरखाव की गतिविधियों में सहयोग प्रदान कर सके। विदेशी पोतों/ सेवा प्रदाताओं पर निर्भरता के कारण दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से मरम्मत जहाज को जुटाने के लिए उच्च लामबंदी समय शामिल हों जाती हैं। प्राधिकरण, वर्तमान परामर्श पत्र में, समय-कुशल तरीके से सबमरीन केबल संचालन और रखरखाव को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारतीय ध्वजवाहक जहाजों की आवश्यकता और संभाव्यता पर हितधारक के विचार मांग रहा है। इसके अलावा, स्थलीय ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क की तुलना में सबमरीन केबल नेटवर्क की विश्वसनीयता और स्थिरता बहुत अधिक है, इसलिए भारतीय तट पर टियर- I और टियर- II शहरों के डिजिटल कनेक्टिविटी/ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए स्वदेशी सबमरीन केबलों की परिकल्पना किया जा सकता है। पत्र का उद्देश्य, तैनाती की चुनौतियों का पता लगाने और भारत में स्वदेशी सबमरीन केबलों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें कैसे दूर किया जाए। इसके अलावा, सीएलएस से आगामी नए केबलों के लिए समुद्र तट मैनहोल (बीएमएच) के माध्यम से पूर्व-निर्धारित खुले "डार्क फाइबर" को प्रादेशिक जलक्षेत्र में रखने की एक नई अवधारणा, स्टब-केबल में शामिल लाभों और चुनौतियों का पता लगाने के लिए हितधारकों के विचार जानने हेतु चर्चा की गई है। भारत में अलग-अलग स्थित केबल लैंडिंग स्टेशनों के बीच स्थलीय कनेक्टिविटी स्थापित करने में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से संबंधित मुद्दों को भी हितधारकों के परामर्श के लिए इस पत्र में शामिल किया गया है।

5. परामर्श पत्र को भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है। परामर्श पत्र पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां **20 जनवरी 2023** तक और प्रति-टिप्पणियां, यदि कोई हों, **03 फ़रवरी 2023** तक आमंत्रित की जाती हैं।

6. टिप्पणियों को अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advbbpa@trai.gov.in पर भेजी जा सकती है, जिसकी एक प्रति jtadvbbpa-1@trai.gov.in पर भेजी जा सकती है। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री संजीव कुमार शर्मा, सलाहकार (ब्रॉडबैंड और नीति विश्लेषण), भादूविप्रा से दूरभाष नंबर +91-11-23236119 पर संपर्क किया जा सकता है।

वी. रघुनंदन

(वी. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा